



केन्द्रीय विद्यालय क्र० 1 रीवा (म० प्र०) - 486001

KENDRIYA VIDYALAYA No.1 REWA (M.P.) - 486001

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)

(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India)

Email : rewa1kv@gmail.com website: <https://no1rewa.kvs.ac.in> Ph. No.: 07662-297023



फ.1584/के.वि.क्र.1रीवा/नॉन-कंज्यूमेबल/2022-23/

दिनांक: 30-07-2022

नीलामी/विक्रय सूचना संबंधी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 रीवा सिविल लाइन्स रीवा में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री "जहाँ है, जैसी है" को बट्टे खाते में डालने संबंधी नीलामी /बिक्री दिनांक 04-08-2022 को प्रातः 11:00 बजे केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 रीवा के प्रांगण में उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं।

नियम एवं शर्तें:-

1. उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति /संस्था जो भी नियमानुसार हो को तत्काल रु 500/= न्यूनतम धरोहर राशि का चेक KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 REWA VVN A/C के पक्ष जमा करना होगा एवं तत्पश्चात उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति /संस्था को अनुपयोगी सामग्री बेची जायेगी।
2. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा शेष पूर्ण राशि उसी दिन केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 रीवा के खाते में जमा करनी होगी अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा राशि डीडी/ चेक / NEFT/ RTGS के माध्यम से KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 REWA VVN A/C में जमा करना होगा, नगद राशि स्वीकार्य नहीं होगी। उच्चतम बोलीदाता के द्वारा राशि जमा करने में असफल होने पर के. वि. क्र. 1 रीवा द्वारा गठित समिति की अनुसंशा पर प्रक्रिया निरस्त करने अथवा द्वितीय उच्च बोलीदाता के पक्ष में निर्णय लेने पर भी विचार किया जा सकता है।
4. अनुपयोगी वस्तुओं का निरीक्षण इच्छुक व्यक्ति /संस्था द्वारा दिनांक 30-07-22 से 03-08-22 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे की अवधि में किया जा सकता है।
5. समस्त दस्तावेज /औपचारिकताओं की कार्यवाही के उपरांत उच्चतम मूल्य देने वाले व्यक्ति /संस्था को सामग्री सुपुर्द की जावेगी।
6. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति /संस्था के द्वारा दो दिवस के अंदर सामग्री को व्यक्तिगत खर्च पर हटाना होगा अन्यथा राशि रु. 500/= अतिरिक्त प्रत्येक दिवस के लिए दंड स्वरूप किराया वसूला जायेगा।
7. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति एवं संगठन के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 रीवा सिविल लाइन्स रीवा का सर्वमान्य होगा।

(चन्दन कोहली)

प्राचार्य

प्रति: 1. कार्यालय रिकॉर्ड 2. विद्यालय वेबसाइट 3. पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नगर निगम आदि पर चस्पा